न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 09 / 2020

दायर दिनांक : 26 / 06 / 2020

निर्णय दिनांक : 16 / 01 / 2025

उनवान

1. देवीलाल पिता रामा भील निवासी निलोद तहसील भूपालसागर — **प्रार्थी**

बनाम

1. गोपीलाल पिता रामा भील निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. सोहन पिता रामा भील निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. तहसीलदार, भूपालसागर — **अप्रार्थीगण**

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी का गांव निलोद तहसील भूपालसागर का रहने वाला है प्रार्थी के कबजे काशत हक अधिकार, आधिपत्य की संयुक्त खातेदारी की आराजियात गांव निलोद पटवार हल्का निलोद में स्थित जिसकी खाता स0 200 के आराजीयात न0 2487 रकबा 0.31 है0 आ0स0 2491 रकबा 0.26 है0 आ0स0 2491 रकबा 0.26 है0 आ0स0 2491 रकबा 0.26 है0 आ0स0 2491 रकबा 0.26 है0 आ0स0 2746 रकबा 0.19 है0 आ0स0 2747 रकबा 0.09 है0 आ0स0 2749 रकबा 0.08 है0 आ0स0 2757 रकबा 0.20 है0 आ0स0 2791 रकबा 0.02 है0 आ0स0 2792 रकबा 0.35 है0 आ0स0 2793 रकबा 0.43 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.93 है0 स्थित है जिसमें 1/7 हिस्सा प्रार्थी का निहित है। मौके पर अपने हक के अनुसार का[illegible] होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। जो बिना बटवारे की आराजियात है। यह कि उपयुक्त आराजियात राजस्व रि[illegible]मान जमाबंदी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं उपयुक्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रा[illegible] की मौके है हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है [illegible] संयुक्त खातेदारी दर्ज होने से लगान जमा कराने में व फसल लेने मे व नाम से व सरकारी अनुदान प्राप्त करने [illegible] सरकारी सरकारी कार्य करने मे समस्या रहती है। इसलिए अप्रार्थीगण को बटवाडा आराजियात करने को कहा तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 11:09:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

टालम टोल जवाब देता है। इस कारण आए दिन बटवारा व सीमांकन विधि अनुसार नही होने से हर रोज लडाई झगडा होता रहता है। मेर पाली रूख दरख को लेकर अनावश्यक विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थी अपने हिस्से की आराजियात का बटवारा मिटस एण्ड बॉण्डस के आधार पर बटवारा करा अलग से जमाबंदी कराना चाहता है। जिससे भविष्य में होनेवाले संभावित विवाद से बचा जा सके। यह कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है क्योंकि आए दिन अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ अनावश्यक सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते रहते हैं तथा प्रार्थी के हक हिस्से में कब्जा नहीं करे इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक है अगर पाबंद नहीं कराया गया तो प्रार्थी को अपने हक अधिकार से व कब्जे से मेहरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति मूल्यों में नही आंकी जा सकेगी। यह कि प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण को आपसी सहमति से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजियात को बराबर कब्जे अनुसार बटवारा करने को कहा तो अप्रार्थीगण नही माने और दिनांक 08.06.2020 को अप्रार्थीगण ने बिल्कुल ही मना कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी कि अगर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो तुम्हारे खातेदारी आराजियात पर कब्जा करके उक्त कब्जा करके उक्त आराजियात पर भविष्य में कभी भी उपयोग उपभोग नहीं करने देगे। इसलिए प्रार्थनापत्र कारण पैदा हुआ जो निरंतर जारी है। कि पक्षप्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय का फरमाया जावे कि वाद की कालम स0 2 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी के हक हिस्से एवं कब्जेशुदा आराजियात में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से जबरन कब्जा नही करे व लडाईझगडा कर प्रार्थी के कब्जेशुदा व हक हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति, नौकर एजेंट व परिवार जन व अधीनस्थ कर्मचारीगण आदि से भी नही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 2 की ओर से वकील श्री मांगीलाल बैरवा ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहने से दिनांक 16.01.2024 को जवाब बंद किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 आंशिक स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 11:09:40 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर